PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Hindustan, Delhi
Sat, 10 Jun 2017, Page 15
Width: 41.35 cms, Height: 14.92 cms, a3r, Ref: 40.2017-06-10.206

कोयला घोटाले में 206 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त हुई

सख्ती

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने एक कंपनी के स्टील प्लांट और मशीनरी को जब्त किया है। ईडी के मुताबिक बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के दगोरी क्षेत्र स्थित प्लांट सहित करीब 206 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। ईडी ने यह कार्रवाई मनी लाउंड्रिग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत की है।

कार्रवाई

- यह कार्रवाई मनी लाउंड्रिग रोकथाम कानून के तहत की है
- सीबीआई ने मई 2014 में इस मामले में केस दर्ज किया था

ईडी ने कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित गड़बड़ी मामले में सीबीआई ने मई 2014 में जायसवाल नीको इंडस्ट्रीज लिमिटेड और निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसी के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए एक्ट के तहत प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की थी। कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में सीबीआई कंपनी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि कंपनी ने धोखाधड़ी कर गारे पलमा सब ब्लॉक-4 हासिल किया था। इसके साथ केंद्र सरकार की इजाजत के बिना कोयला निजी उपयोग वाले बिजली संयंत्र के लिए इस्तेमाल किया गया। जांच के दौरान पता चला कि 2006 से 2015 के बीच ब्लॉक से 3.8 मिलियन टन कोयला निकाला गया। बेहद कम कीमत पर कोयला मिलने से कंपनी के पावर प्लांट और स्टील प्लांट का मुनाफा बढ़ गया।